राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seacco@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 28/04/2022 को संपन्न 405वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022 को डॉ. बी.पी. नौन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 404वीं बैठक दो दिवसीय दिनांक 19/04/2022 एवं 20/04/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 404वीं बैठक दो दिवसीय दिनांक 19/04/2022 एवं 20/04/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स साव मिनरल्स लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1630)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 62246/ 2021, दिनांक 31/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 62246/ 2021, दिनांक 03/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 47 (पार्ट), 60/1 (पार्ट), 63 (पार्ट), 64, 65 (पार्ट), 66, 69 (पार्ट), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 157 एवं 158, कुल क्षेत्रफल–4.91 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,96,875 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय साव, प्रोपराईटर एवं मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोड़पेण्ड्री का दिनांक 13/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1884/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.06/2020(3) नवा रायपुर, दिनांक 24/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/255/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 01/06/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 21 खदानें, क्षेत्रफल 41.98 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4231/खनि.ति. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 25/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4201/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1329/खनि 02/उ.प.–अनु.निधा./न.क्र. 50/2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 11/04/2022 द्वारा जारी एल.ओ.आई. में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति के लिए एल.ओ.आई. अवधि समाप्ति (दिनांक 21/03/2022) पश्चात् 1 वर्ष (दिनांक 20/03/2023 तक) हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 60/1(पार्ट) मेसर्स बोलबम मिनरल्स पार्टनर श्री संजय साव तथा शेष खसरा क्रमांक आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/1398 दुर्ग, दिनांक 18/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 25 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोड़पेण्ड्री 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोड़पेण्ड्री 1 कि.मी. एवं अस्पताल सेलुद 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 29,46,000 टन, माईनेबल रिजर्व 14,88,604 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 13,39,744 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,137 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 42,317 घनमीटर है, जिसमें से 6,149 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा 5,424 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को क्रशर स्थापना एवं रैम्प निर्माण में उपयोग किया जाएगा एवं शेष 30,744 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भूमि खसरा क्रमांक 160/1 एवं 160/2 (1.37 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित

आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 5,290 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,42,500	षष्टम	1,12,200
द्वितीय	1,96,875	सप्तम	1,12,200
तृतीय	1,96,875	अष्टम	1,12,200
चतुर्थ	1,96,875	नवम	1,12,200
पंचम	1,94,385	दशम	1,12,050

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 30,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,53,100 रूपये, खाद के लिए राशि 11,250 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,34,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,28,350 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 6,60,160 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिसम्बर 2019 से फरवरी 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	26.28	43.58	60
PM_{10}	47.2	66.5	100
SO_2	9.08	14.63	80
NO_2	11.33	20.24	80

   iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार

क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	48	58	75
Night L_{eq}	33.24	53.3	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 49 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 30 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.071 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.01 to 0.2) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 30/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम–गोढ़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किया जाना चाहिए एवं खदान से डस्ट उत्सर्जन अधिक होता है। क्रशर के कारण प्रदूषण होता है।

ii. ब्लास्टिंग से आस–पास के ग्रामों एवं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है।

iii. खदान के खुलने से जल का स्तर कम हो जाता है।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही काम के दौरान मजदुरों के लिये समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जायेगा।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जायेगा एवं खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। साथ ही खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले ट्रकों को तारपोलिन से ढंक कर ले जाया जायेगा। क्रशर के चारों तरफ उंचाई पर ग्रीन मैट से बाउण्ड्री बनाई गई है, जिससे क्रशर का धूल दूर तक नहीं जायेगा।

ii. ब्लास्टिंग कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के उपरांत किया जाएगा। ब्लास्टिंग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में कन्ट्रोल ब्लास्टिंग की जाएगी।

iii. खदान अधिक गहरा नहीं होगा। यह भू–जल स्तर से काफी उपर होगा इससे भू–जल पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 22 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों / पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 4 कि. मी. कुल पहुँच मार्ग की संख्या 3 (पहुँच मार्ग–1 की लम्बाई 1 कि.मी., पहुँच मार्ग–2 की लम्बाई 1 कि.मी., पहुँच मार्ग–3 की लम्बाई 2 कि.मी.)		96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (5,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,75,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	फेंसिंग हेतु राशि	13,43,910	—	—	—	—
	खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	5,09,000	5,09,000	5,09,000	5,09,000	5,09,000
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Quarterly)		1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000

गांव के सड़कों (2 कि.मी. तक) में 200 नग वृक्षारोपण हेतु	1,00,000	30,000	30,000	–	–
कुल राशि	**35,07,910**	**18,44,000**	**18,44,000**	**18,14,000**	**18,14,000**

परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता:– कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (334 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	12,024	1,224	1,224	1,224	1,224
	फेंसिंग हेतु राशि	5,19,000	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,70,520	1,69,020	1,69,020	1,69,020	1,69,020
कुल राशि		**7,01,544**	**1,70,244**	**1,70,244**	**1,70,244**	**1,70,244**

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

112	2%	2.24	Following activities at nearby, Village-Gondpendri	
			Pavitra Van	10.78
			Total	**10.78**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,350 नग पौधों के लिए राशि 27,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,03,700 रूपये, खाद के लिए राशि 3,380 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,46,360 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,88,440 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,90,120 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 100 एवं 145/1(पार्ट), क्षेत्रफल 3 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/255/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 01/06/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 21 खदानें, क्षेत्रफल 41.98 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोड़पेण्ड्री) का क्षेत्रफल 4.91 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोड़पेण्ड्री) को मिलाकर क्षेत्रफल 46.89 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स साव मिनरल्स लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 47 (पार्ट), 60/1 (पार्ट), 63 (पार्ट), 64, 65 (पार्ट), 66, 69 (पार्ट), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 157 एवं 158 में

स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.91 हेक्टेयर, क्षमता–1,96,875 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती रजनी सिंह), ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1861)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 69982 / 2021, दिनांक 10 / 12 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20 / 12 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04 / 01 / 2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 714 / 1 एवं 715, कुल क्षेत्रफल–1.17 हेक्टेयर में से 0.64 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,250 टन (500 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25 / 04 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28 / 04 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुनाल ठाकुर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 714 / 1 एवं 715, कुल क्षेत्रफल – 1.17 हेक्टेयर, क्षमता– 500 घनमीटर (820 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12 / 06 / 2015 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15 / 10 / 2015 की अवधि हेतु वैध थी।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुरदी का दिनांक 06 / 07 / 2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 657/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 04/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1284/खनि.लि./उ.प.आवेदन/2021 बालोद, दिनांक 01/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 16 खदानें, क्षेत्रफल 19.247 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1517/खनि.लि./खनिज/2021 बालोद, दिनांक 16/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1201/खनि.लि./उ.प.एल.ओ.आई./2021–22 बालोद, दिनांक 30/07/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमंडल, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./न.क्र. 23/2021/7390 बालोद, दिनांक 31/12/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुरदी 700 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–कुरदी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 4.5 कि.मी. दूर है। तांदुला नदी 2.6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,51,000 टन, माईनेबल रिजर्व 43,556 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 32,667 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,960 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,340 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव में एवं शेष ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 35 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना

प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,250	षष्टम	1,250
द्वितीय	1,250	सप्तम	1,250
तृतीय	1,250	अष्टम	1,250
चतुर्थ	1,250	नवम	1,250
पंचम	1,250	दशम	1,250

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 810 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,960 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 260 वर्गमीटर क्षेत्र 4.54 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. जल की आपूर्ति के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार उत्खनन क्षमता–800 टन (500 घनमीटर) प्रतिवर्ष एवं वर्तमान में खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,250 टन (500 घनमीटर) प्रतिवर्ष है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स महामाया मिनरल्स (पार्टनर– श्रीमती सतरूपा सिन्हा), ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1544)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /60417/2021, दिनांक 02/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 60417/ 2021, दिनांक 05/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 867, 874, 875, 876, 877, 878(पार्ट), 879(पार्ट), 881, 882, 883, 884(पार्ट), 887/1, 888/1 एवं 888/2, कुल क्षेत्रफल–4.55 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–49,950 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सतरूपा सिन्हा, प्रोपराईटर एवं मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत ढौर का क्रमशः दिनांक 14/12/2018 एवं दिनांक 30/12/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5492/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(1) नवा रायपुर, दिनांक 23/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 901/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 07/09/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.673 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3620/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. महामाया मिनरल्स के नाम पर है। इस हेतु पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/2769/खनिज/उ.प./2020 दुर्ग, दिनांक 15/09/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन 5485/खनि 02/उ. प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 28/10/2021 द्वारा जारी एल.ओ.आई. में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति के लिए एल.ओ.आई. अवधि 1 वर्ष (दिनांक 13/09/2022 तक) हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/3302 दुर्ग, दिनांक 25/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 25 कि.मी की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ढौर 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–ढौर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सेलूद 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब 1.6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 17,06,250 टन, माईनेबल रिजर्व 7,59,190 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 6,83,271 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,746 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 52,751 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौडाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15.2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 7,452 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	49,950	षष्टम	49,950
द्वितीय	49,950	सप्तम	49,950
तृतीय	49,950	अष्टम	49,950
चतुर्थ	49,950	नवम	49,950
पंचम	49,950	दशम	49,950

12. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है, कुल मात्रा 52,751 घनमीटर है, जिसमें से 6,587 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं 37,064 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को क्रशर स्थापना एवं रैम्प निर्माण में उपयोग किया जाएगा तथा शेष 9,120 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीप स्वयं के निजी भूमि खसरा क्रमांक 857 (0.5 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 34,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,72,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,250 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,45,700 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,55,950 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 6,63,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	18.14	43.10	60
PM_{10}	36.15	72.41	100
SO_2	9.01	17.78	80
NO_2	9.13	17.52	80

    iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Environmental and Social Baseline Settings में दर्शाये गये

टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तरः–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	39.2	60.4	75
Night L_{eq}	30.1	47.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

17. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 140 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.12 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 149 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.13 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0 to 0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 01/11/2021 दोपहर 11:30 बजे स्थान – शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला, ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 30/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. तालाब के किनारें में खदान खुलेगा और ट्रक भी चलेगा, सड़क पर जल छिड़काव भी नहीं करते है।

ii. पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किया जाना चाहिए एवं खदान से डस्ट उत्सर्जन अधिक होता है। क्रशर के कारण प्रदूषण होता है।

iii. खदान खुलने के पूर्व गांव में 500 नग वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

iv. लीज क्षेत्र के समीप 20 एकड़ का तालाब है, जिससे तालाब का पानी प्रदूषित होगा।

v. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही काम के दौरान मजदूरों के लिये समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जायेगा।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान तालाब से लगभग 200 मीटर दूर है। धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु सड़क में प्रतिदिन दो से तीन बार जल छिड़काव किया जाएगा। खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले ट्रकों को तारपोलिन से ढंक कर ले जाया जायेगा।

ii. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जायेगा एवं खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। साथ ही क्रशर के चारों तरफ ऊंचाई पर ग्रीन मैट से बाउण्ड्री बनाई गई है, जिससे क्रशर का धूल दूर तक नहीं जायेगा।

iii. लीज क्षेत्र एवं पहुंच मार्ग में सुरक्षा घेरा सहित वृक्षारोपण का कार्य प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

iv. लीज क्षेत्र से तालाब काफी दूर है, तालाब के तरफ कोई भी गहरी खनन कार्य नहीं किया जाएगा एवं परिवहन के लिए भी तालाब के कोई भी रास्ते का उपयोग नहीं किया जाएगा।

v. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 6 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	36,000	2,600	2,600	2,600	2,600
	फेंसिंग हेतु राशि	10,38,400	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,63,000	1,60,750	1,60,750	1,60,750	1,60,750
कुल राशि		**12,34,400**	**1,63,350**	**1,63,350**	**1,63,350**	**1,63,350**

कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
तालाब की परिधि में (474 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	17,064	5,820	5,820	5,820	5,820
	फेंसिंग हेतु राशि	1,62,200	400	400	400	400

	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,57,500	1,56,490	1,56,490	1,56,490	1,56,490
कुल राशि		**3,36,764**	**1,62,710**	**1,62,710**	**1,62,710**	**1,62,710**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
69	2%	1.38	Following activities at nearby, Village-Dhaur	
			Pavitra Van	10.10
			Total	**10.10**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 900 नग पौधों के लिए राशि 18,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 66,300 रूपये, खाद के लिए राशि 2,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,44,900 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,30,450 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,80,520 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 145, क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 901/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 07/09/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.673 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–ढौर) का क्षेत्रफल 4.55 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–ढौर) को मिलाकर क्षेत्रफल 15.223 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स महामाया मिनरल्स (पार्टनर– श्रीमती सतरूपा सिंहा), ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 867, 874, 875, 876, 877, 878(पार्ट), 879(पार्ट), 881, 882, 883, 884(पार्ट), 887/1, 888/1 एवं 888/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.55 हेक्टेयर, क्षमता–49,950 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत), ग्राम–अनुजनगर, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1874)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 245697/2021, दिनांक 17/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/01/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–अनुजनगर, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 700/2, 703, 726/2, 700/1, 701, 702, 723/7, 723/11, 700/3 एवं 723/19, कुल क्षेत्रफल–2.07 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,275 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 14,73,750 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 700/2, 703, 726/2, 700/1, 701, 702, 723/7, 723/11, 700/3 एवं 723/19, कुल क्षेत्रफल – 2.07 हेक्टेयर, क्षमता–3,275 घनमीटर (ईंट निर्माण 14,73,750 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 27/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1555/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 23/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 27/02/2017 से 31/12/2017 तक	निरंक
दिनांक 01/01/2018 से 31/12/2018 तक	334
दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019 तक	384
दिनांक 01/01/2020 से 01/09/2020 तक	900
दिनांक 01/10/2020 से 31/03/2021 तक	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अनुजनगर का दिनांक 17/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 74/खनिज/2016 सूरजपुर, दिनांक 10/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1556/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक

23/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1556/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/01/2005 से 11/01/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/01/2015 से 11/01/2035 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 700/2 एवं 703 सुहानो, खसरा क्रमांक 726/2 श्री गंगाराम, खसरा क्रमांक 700/1 श्री रामलाल, खसरा क्रमांक 701 एवं 702 श्री बरतु, खसरा क्रमांक 723/7 एवं 723/11 श्री नंदु, खसरा क्रमांक 700/3 श्री गोतीराम एवं खसरा क्रमांक 723/19 श्री नवा मक्खन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./3240/2004 अम्बिकापुर, दिनांक 28/12/2004 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अनुजनगर 1.3 कि.मी., स्कूल ग्राम–अनुजनगर 1.6 कि.मी. एवं अस्पताल अम्बिकापुर 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.3 कि.मी. दूर है। घुनघुटा नदी 12.1 कि.मी., मौसमी नाला 2.3 कि.मी. एवं तालाब 1.1 कि. मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 28,800 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 26,229 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 24,917 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 27,097 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 23,299 घनमीटर शेष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 962 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 4,102 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा

स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन से 15 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
2021–22	2,469	13,88,813
2022–23	2,481	13,95,788
2023–24	2,497	14,04,563
2024–25	2,508	14,10,975
2025–26	2,620	14,73,750

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.78 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 481 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 300 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 181 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों 1 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 9,050 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 24,050 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,10,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,63,100 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 9,36,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23.60	2%	0.47	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Anujnagar	
			Potable Drinking Water Facility	0.32
			Running Water Facility for Toilet	0.10
			Environmental Library	0.13
			Total	**0.55**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1556/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 23/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–अनुजनगर) का रकबा 2.07 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत), ग्राम–अनुजनगर, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 700/2, 703, 726/2, 700/1, 701, 702, 723/7, 723/11, 700/3 एवं 723/19 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.07 हेक्टेयर, क्षमता – 3,275 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 14,73,750 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स ईरा ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री अभिषेक चक्रधारी), ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1905)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 250654 /2022, दिनांक 08/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 483, 490(पार्ट), 493(पार्ट), 494(पार्ट), 495/2, 496(पार्ट), 482, 484(पार्ट), 476/1, 476/2, 477, 478, 479, 480, 481, 495/1, 495/4(पार्ट) एवं 495/5(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–2.84 हेक्टेयर में है। खदान

की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,200 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 32,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/04/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स ईरा ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.– श्रीमती कौशिल्या देवी चक्रधारी), ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1907)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एनआईएन / 250656 /2022, दिनांक 06/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 549/1(पार्ट), 550(पार्ट), 551(पार्ट), 553(पार्ट), 554/1, 555/2(पार्ट), 555/3, 555/4(पार्ट), 557/1(पार्ट), 557/2(पार्ट) एवं 558/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–2.17 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,944 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 19,44,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/04/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स सुनसुनिया सेण्ड माईन (प्रो.– श्री दीपक त्रिपाठी), ग्राम–सुनसुनिया, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1906)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 250643/2022, दिनांक 08/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–सुनसुनिया, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1727/1, कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 99,225 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक त्रिपाठी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सुनसुनिया का दिनांक 05/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खं. प्रशा.), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 363/2/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2020 बिलासपुर, दिनांक 18/06/2020 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक 2058/खलि/तीन–1/2020 बलौदाबाजार, दिनांक 08/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक 2055/खलि/तीन–1/2020 बलौदाबाजार, दिनांक 08/06/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री दीपक त्रिपाठी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन

क्रमांक 1395/गौ.खनिज/नीलामी/ग.क./2019 बलौदाबाजार, दिनांक 28/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 22/2021 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 24/11/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7(4) के तहत् आशय पत्र की अवधि में पारित आदेश दिनांक से 06 माह का अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए, उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति पश्चात् निम्नानुसार उत्खननपट्टा स्वीकृति की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सुनसुनिया 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–सुनसुनिया 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल कसडोल 7.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27.7 कि.मी. राज्यमार्ग 5.5 कि.मी. दूर है। तालाब 1.25 कि.मी. एवं नहर 1.95 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1500 मीटर, न्यूनतम 1330 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 340 मीटर, न्यूनतम 330 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 148.54 मीटर, न्यूनतम 144 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 500 मीटर, न्यूनतम 240 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.28 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.25 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 99,225 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.28 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 14/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.59	2%	0.76	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Sunsuniya**	
			Installation of Motor Pump, Water Tank along with Filter AMC	0.60
			Running Water Facility for Toilet	0.15
			Environmental Library	0.15
			Total	**0.90**

15. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.25 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–सुनसुनिया) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,880 नग पौधे – 940 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 940 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 1,120 नग पौधे लगाए जायेंगे। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,50,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,00,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 9,00,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं द्वितीय वर्ष कुल राशि 4,50,000 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर / नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स सुनसुनिया सेण्ड माईन (प्रो.– श्री दीपक त्रिपाठी), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1727 / 1, ग्राम–सुनसुनिया, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स टी.आर. ब्रिक्स (प्रो.– श्री टेमलाल राजवाडे, कुंजनगर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट) ग्राम–कुंजनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1910)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 248694 / 2021, दिनांक 12 / 01 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–कुंजनगर, तहसील व

जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 653, 582, 584, 585, 586, एवं 650, कुल क्षेत्रफल–2.25 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 882.76 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 6,31,579 नग) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/04/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/ 242996/2021, दिनांक 04/12/2021।

प्रस्ताव का विवरण –

1. मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर को एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. **पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./ई.सी./रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1/4, कुल क्षेत्रफल – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर का अधिग्रहण मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से होने का उल्लेख करते हुए पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./ई.सी./रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से हस्तांतरित करने बाबत् अनुरोध किया गया है। उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा उनको जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।

ii. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा बोर्ड रिसाल्युशन की प्रति।

iii. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1/4, कुल क्षेत्रफल – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

iv. सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1, कुल क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर, औद्योगिक क्षेत्र उरला, ग्राम–सरोरा, जिला–रायपुर को दिनांक 04/09/2021 को संपादित लीज डीड की प्रति।

v. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के ज्ञापन दिनांक 17/07/2020 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को उक्त क्षमता हेतु जारी जल एवं वायु स्थापना सम्मति पत्र की प्रति।

vi. कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/जिव्याउकें–रा/भू.आ./2021/3692 रायपुर, दिनांक 04/09/2021 द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला–रायपुर में खसरा क्रमांक 372/1 का भाग, ग्राम–सरोरा, रकबा 0.2 हेक्टेयर भूमि का आबंटन संबंधी पत्र की प्रति।

vii. मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निजी भूमि के क्रय संबंधी दस्तावेज की प्रति।

viii. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड तथा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के मध्य प्लांट एण्ड मशीनरी, ऑफिस बिल्डिंग आदि कुल रू. 2,27,48,789.79/– सेल इन्वाईस की प्रति।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 30/12/2021 को संपन्न 117वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन की अद्यतन स्थिति सहित

पालन प्रतिवेदन मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही यह भी पाया गया कि पूर्व में मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा क्रमांक 1/4, कुल क्षेत्रफल – 1.62 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) का उल्लेख किया गया है, जबकि सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से संपादित लीज डीड की प्रति एवं कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर द्वारा प्रस्तुत भूमि आबंटन संबंधी पत्र में पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1 का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन की अद्यतन स्थिति सहित पालन प्रतिवेदन एवं उपरोक्तानुसार भूमि के खसरा क्रमांक के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 117वीं बैठक दिनांक 30/12/2021 एवं ज्ञापन दिनांक 10/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रमशः दिनांक 04/01/2022 एवं 19/01/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया कि वर्तमान में उद्योग द्वारा पूर्व में क्षमता विस्तार के तहत् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 895/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग./एसआईए/सीजी/आईएनडी/535 नया रायपुर, दिनांक 22/01/2018 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, का ही संचालन किया जा रहा है। तत्पश्चात् उद्योग द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए./छ.ग./ई.सी./रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी. एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, के परिपेक्ष्य में कोविड के कारण इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना संभव नहीं हो पायी है।
2. उद्योग द्वारा भूमि के खसरा क्रमांक के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये अवगत कराया गया कि मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के समीप कुल उपलब्ध भूमि – 1.62 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) थी। उक्त दोनों भूखंड को मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्तुत क्रय–विक्रय पंजीयन दस्तावेज के अनुसार निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर का खसरा क्रमांक 1/4 एवं

सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर का पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1 है तथा प्लॉट नम्बर निरंक है।

3. पूर्व में सी.एस.आई.डी.सी. भूमि का आबंटन किया गया तत्समय प्लॉट नम्बर निरंक था एवं खसरा क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया था। चूंकि पूर्व में मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ने सी.एस.आई.डी.सी. भूमि से उक्त भूखंड को लीज पर प्राप्त किया था। तत्समय उस भूखंड के खसरा का बटांकन नहीं होने का उल्लेख किया गया है। अतः उसमें कोई खसरा क्रमांक का उल्लेख नहीं था। किन्तु जब मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ने उक्त भूखंड को अपने पक्ष में लीज का हस्तांतरण कराया गया तब तक उस भूखंड के खसरा का बटांकन कर, उसे पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1 किया गया, जो कि लीज डीड तथा कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/जिव्याउकें–रा/भू.आ./2021/3692 रायपुर, दिनांक 04/09/2021 द्वारा जारी भूमि का आबंटन संबंधी पत्र की प्रति से स्पष्ट है।

4. **उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि:–**

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./ई.सी./रायपुर/538 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना नहीं की जा सकी है, चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के अनुपालन हेतु मूलरूप से स्टील डिवीजन की स्थापना, हेतु पर्याप्त ग्रीन बेल्ट एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग के व्यवस्था करने हेतु उपलब्ध भू–भाग को निष्पादन के दौरान अपर्याप्त पाया गया। तत्पश्चात् स्टील डिवीजन की स्थापना हेतु उद्योग से लगी हुई निजी भूमि को क्रय करना प्रस्तावित किया गया।

- उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 3612/टीएस/सीईसीबी/2020 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/07/2020 द्वारा स्थापना सम्मति जारी की गई थी, किंतु स्टील उद्योग में व्याप्त मंदी के कारण तथा अतिरिक्त भूखंड के अभाव के कारण उपरोक्त विस्तार का निष्पादन संभव नहीं हो पाया। साथ ही कोविड–19 महामारी के आजाने के कारण उद्योग की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तदुपरांत मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ने उक्त उद्योग को मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को विक्रय कर दिया। मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा स्टील डिवीजन की स्थापना हेतु उद्योग से लगी हुई निजी भूमि को क्रय किया गया। जिसके खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13 कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर को उद्योग के नाम पर पंजीयन करा लिया गया है।

- उद्योग द्वारा पूर्व धारित भूमि 1.82 हेक्टेयर एवं वर्तमान में क्रय भूमि 1.676 हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए कुल 3.496 हेक्टेयर भूखंड उपलब्ध है। इस संदर्भ में उद्योग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में नये क्रय किए गये अतिरिक्त भूखंड खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13 कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर पर एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) की स्थापना

के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस बाबत् प्रस्तावित विस्तार का रिवाइज्ड ले–आउट, उक्त समस्त भूभाग को शामिल करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

- उपरोक्तानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निजी भूमि खसरा क्रमांक 1/4 के साथ सी.एस.आई.डी.सी. की भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 372/1 को उल्लेख करने तथा उद्योग द्वारा नये क्रय किए गये अतिरिक्त भूखंड खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13, कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर को भी जोड़ने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन के अनुपालन के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नये क्रय किए गये अतिरिक्त भूखंड खसरा क्रमांक 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13, कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर को भी जोड़ने के अनुरोध को अमान्य किया गया। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा विधिवत् ऑनलाईन आवेदन किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन के अनुपालन के परिपेक्ष्य में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मैसर्स श्री मोहन लाल अग्रवाल (मोहमदठा डोलोमाईट स्टोन माईन), ग्राम–मोहमदठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1452)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 57905/2020, दिनांक 31/10/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/02/2022 को टी.ओ.आर. के स्थान पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहमदठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 692, 745, 746/1, 746/2, 747, 752, 753, 754, 759, 760, 940, 953/1, 953/2, 954, 958/2, 962, 932/1, 932/2, 932/3, 937/1, 937/2, 938, 976, 977,

986/2, 930 एवं 931, कुल क्षेत्रफल–4.97 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–94,335 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को 'बी2' केटेगरी का मानकर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

   - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना एस.ओ. 141(ई) दिनांक 15/01/2016 एवं एस.ओ. 2269(ई) दिनांक 01/07/2016 के अनुसार "किसी समूह का निर्माण, तब किया जाएगा, जब किसी पट्टे के सीमाओं की बीच की दूरी, किसी अन्य पट्टे की सीमा में सदृश्य (homogeneous) खनिज क्षेत्र में 500 मीटर से कम हो।" है।

   - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 515/खनि 02/न.क्र. 02/2020–21 मुंगेली, दिनांक 29/07/2020 के माध्यम से **डोलोमाईट खनिज** उत्खनिपट्टा हेतु आशय पत्र जारी किया गया है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 801/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 4.243 हेक्टेयर होना बताया गया है, जो कि निम्न श्रेणी **चूना पत्थर** की खदानें है। अतः आवेदित क्षेत्र में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना एस.ओ. 141(ई) दिनांक 15/01/2016 एवं एस.ओ. 2269(ई) दिनांक 01/07/2016 के अनुसार होमोजिनियस खनिजों का क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। इस प्रकार आवेदित प्रकरण को 'बी1' केटेगरी के स्थान पर 'बी2' केटेगरी का मानकर निराकरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

   - डोलोमाईट एवं चूना पत्थर भिन्न–भिन्न खनिज है। अतः दोनों खनिजों को होमोजिनियस खनिज नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के आधार पर तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

   - आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर है। अतः माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेशानुसार खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम का

क्लस्टर निर्मित होने के कारण 'बी2' श्रेणी का मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. डोलोमाईट एवं चूना पत्थर भिन्न–भिन्न खनिज है, डोलोमाईट एवं चूना पत्थर की रसायनिक संरचना भिन्न–भिन्न है। अतः दोनों खनिजों को होमोजिनियस खनिज नहीं माना जा सकता है।
2. आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर है। अतः खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम का क्लस्टर निर्मित होने के कारण 'बी2' श्रेणी का मान्य किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा जारी टीओआर को डिलिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को 'बी2' केटेगरी का मानकर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः ऑनलाईन आवेदन किये जाने के पश्चात् प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुतीकरण में बुलाये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1323)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/सीएमआईएन/66779/2020, दिनांक 19/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/सीएमआईएन/260427/2022, दिनांक 08/03/2022 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1422, दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल क्षेत्रफल – 11.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन कर नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **"ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।" के स्थान पर "**ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को आस–पास पावर प्लांटों एवं अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।" किये जाने के लिये जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण के दौरान कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाना बताया गया था। इस आधार पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "**बिंदु क्रमांक 08 – ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।" का उल्लेख किया गया है किन्तु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त के **III. Water quality monitoring** के बिन्दु क्रमांक (vi) में "The rejects should be utilized in Brick manufacturing plant or FBC power plant or disposed off through sale for its gainful utilization." का उल्लेख है।
3. कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराये जाने अथवा आस–पास पावर प्लांटों एवं अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जाने के संबंध में परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **"बिंदु क्रमांक 08 – ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।" के स्थान पर "रिजेक्ट्स को एम.ओ.यु. हुये आस–पास के पावर प्लांटों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जाने" में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदन एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति ज्ञापन क्रमांक 1422, दिनांक 28/09/2021 के शर्त III. Water quality monitoring के बिन्दु क्रमांक vi. The rejects should The rejects should be utilized in Brick manufacturing plant or FBC power plant or disposed off through sale for its gainful utilization. का उल्लेख है।

4. परियोजना के कार्यकलापों एवं प्रस्तावों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्नानुसार संशोधन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

"**ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कवर्ड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।"

के स्थान पर

"**ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कवर्ड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई अथवा आस–पास पावर प्लांटों अथवा अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।"

पढ़ा जाये।

एवं

III. Water quality monitoring के बिन्दु क्रमांक vi. The rejects should The rejects should be utilized in Brick manufacturing plant or FBC power plant or disposed off through sale for its gainful utilization.

के स्थान पर

III. Water quality monitoring के बिन्दु क्रमांक vi. The rejects should The rejects should be utilized in Brick manufacturing plant or FBC power plant or disposed off through sale for its gainful utilization by covered trucks.

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स नर्मदा मिनरल्स (किरना डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर– श्री मोहन लाल अग्रवाल), ग्राम–किरना, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1451)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57900/2020, दिनांक 31/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /261406/2022, दिनांक 17/03/2022 द्वारा टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरना, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 486, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 482/2, 483/2, 483/3, 487/2, 487/3, 487/4, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 490/1 एवं

490/4, कुल क्षेत्रफल–4.63 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,00,212.5 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के अनुमोदन उपरांत एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1930, दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/03/2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/809/खलि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है।" का उल्लेख है, जबकि परियोजना प्रस्तावक के कथनानुसार टी.ओ.आर. के प्रस्तुतीकरण के दौरान उक्त 2 खदानें संचालित है एवं इसके अतिरिक्त 1 अन्य नवीन प्रस्तावित खदान क्लस्टर में अवस्थित होना बताया गया था।

- वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 2000/खलि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है। अतः कुल 16.875 हेक्टेयर का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. नवीन प्रमाण पत्र अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 2000/खलि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानों में से 2 खदानें संचालित है एवं इसके अतिरिक्त 1 अन्य नवीन प्रस्तावित खदान को एल.ओ.आई. दिनांक 04/02/2021 को जारी किया गया है, जबकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के अनुमोदन उपरांत एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1930, दिनांक 04/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर. जारी किया गया था। अतः टी.ओ.आर. के प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें ही संचालित/स्वीकृत थी।
2. जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/809/खलि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल

रकबा 12.056 हेक्टेयर है।" का उल्लेख है। अतः नवीन प्रमाण पत्र अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 2000/खनि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है।" उल्लेखित है।

3. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि नवीन प्रमाण पत्र अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 2000/खनि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है।" होने के कारण कुल क्लस्टर के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। अतः कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1930, दिनांक 04/02/2021 द्वारा जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (लोक सुनवाई सहित) में

"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/809/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 12.056 हेक्टेयर है।"

के स्थान पर

"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 2000/खनि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है।"

किए जाने हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही पूर्व शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स शितला मिनरल्स (पार्टनर– श्री मनीष कुमार अग्रवाल), ग्राम–लमती, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1453)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 57902 / 2020, दिनांक 31 / 10 / 2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /282136 / 2022, दिनांक 17 / 03 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लमती, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 42, 79, 83, 84, 85 / 1, 85 / 2, 89 शामिल 88, 90, 91 / 1, 91 / 2, 92, 93, 94, 95 / 2, 96, 98 / 1, 98 / 2, 99, 100, 101, 102, 103 / 1, 103 / 2, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 122 एवं 123, कुल क्षेत्रफल–4.819 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,01,316.88 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के अनुमोदन उपरांत एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1932, दिनांक 04 / 02 / 2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17 / 03 / 2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक / 803 / खनि–03 / 2020 मुंगेली, दिनांक 29 / 10 / 2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है।" का उल्लेख है, जबकि परियोजना प्रस्तावक के कथनानुसार टी.ओ.आर. के प्रस्तुतीकरण के दौरान उक्त 2 खदानें संचालित है एवं इसके अतिरिक्त 1 अन्य नवीन प्रस्तावित खदान क्लस्टर में अवस्थित होना बताया गया था।

- वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1999 / खनि–03 / 2021–22 मुंगेली, दिनांक 22 / 02 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.056 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है। अतः कुल 16.875 हेक्टेयर का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04 / 04 / 2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. नवीन प्रमाण पत्र अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1999 / खनि–03 / 2021–22 मुंगेली, दिनांक 22 / 02 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानों में से 2 खदानें संचालित है एवं इसके अतिरिक्त 1 अन्य नवीन प्रस्तावित खदान

को एल.ओ.आई. दिनांक 04/02/2021 को जारी किया गया है, जबकि एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के अनुमोदन उपरांत एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1932, दिनांक 04/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर. जारी किया गया था। अतः टी.ओ.आर. के प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें ही संचालित/स्वीकृत थी।

2. जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/803/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 12.245 हेक्टेयर है।" का उल्लेख है। अतः नवीन प्रमाण पत्र अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1999/खनि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.056 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है।" उल्लेखित है।

3. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि नवीन प्रमाण पत्र अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1999/खनि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.056 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है।" होने के कारण कुल क्लस्टर के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। अतः कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1932, दिनांक 04/02/2021 द्वारा जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (लोक सुनवाई सहित) में

"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/803/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 12.245 हेक्टेयर है।"

के स्थान पर

"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1999/खनि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.056 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है।"

किए जाने हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही पूर्व शर्तें यथावत् रहेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स कुम्हारी ब्रिक अर्थ क्ले एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्रीमती ज्योति शुक्ला), ग्राम–कुम्हारी, तहसील व जिला–रायपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 265082/2022, दिनांक 31/03/2022। श्री हरीश शुक्ला, ग्राम–कुम्हारी (बिखली), तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स कुम्हारी ब्रिक अर्थ क्ले एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्रीमती ज्योति शुक्ला), ग्राम–कुम्हारी, तहसील व जिला–रायपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–कुम्हारी (बिखली), तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 138/1 एवं 139/1, कुल लीज क्षेत्र 0.566 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन खदान (गौण खनिज) क्षमता–1,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 5,00,000 नग) प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/04/2014 द्वारा उक्त क्षमता हेतु श्री हरीश शुक्ला के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के आदेश क्रमांक 1146/ख. लि./तीन–6/उ.प. 17/2014, दिनांक 20/01/2021 द्वारा "श्रीमती ज्योति शुक्ला, पति–स्व. श्री हरीश शुक्ला" के नाम पर उत्खननपट्टा की अवधि 30 वर्ष (दिनांक 13/01/2004 से 12/01/2034 तक) का पूरक अनुबंध किया गया है।
4. माईनिंग प्लान का हस्तांतरण मेसर्स कुम्हारी ब्रिक अर्थ क्ले एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्रीमती ज्योति शुक्ला) के नाम पर किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 08/04/2022 को संपन्न 120वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:–

1. मेसर्स कुम्हारी ब्रिक अर्थ क्ले एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्रीमती ज्योति शुक्ला) द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में पर्यावरण के सभी नियमों एवं शर्तों का पालन किये जाने का उल्लेख किया गया है।

2. उल्लंघन के प्रकरणों हेतु एस.ओ.पी. के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ.एन. 22–21/2020–आई.ए./III [E138949], दिनांक 28/01/2022 द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम का अवलोकन किया गया। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् तथ्यों के पुष्टि हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना में ईंट भट्टा हेतु जारी दिशा–निर्देश के परिपेक्ष्य में परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित जानकारी लिया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि आवेदित प्रकरण पर उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:–

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना अनुसार जिग–जेग पद्धति का ईंट भट्टा स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 403वीं बैठक क्रमशः दिनांक 30/03/2022 एवं 31/03/2022 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 28/04/2022 द्वारा किया गया।

2. गौण खनिज के खदानों में पर्यावरण स्वीकृति बाबत्।

श्री राकेश दुबे, अध्यक्ष रायपुर क्रेशर संचालक एसोसिएशन के पत्र दिनांक 09/03/2022 द्वारा गौण खनिज की खदानों में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 20/03/2015 एवं अधिसूचना दिनांक 27/02/2019 के अनुसार गौण खनिज हेतु चाही गई मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9488, दिनांक 23/03/2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

श्री राकेश दुबे, अध्यक्ष रायपुर क्रेशर संचालक एसोसिएशन द्वारा निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक J-11011/15/2012-IA.II(M) दिनांक 20/03/2015 अनुसार "Project Proponent which has a valid and substituting EC for their mining project either under EIA Notification 1994 or EIA Notification 2006, will not be required to obtain fresh EC at the time of renewal of the lease. This is subject to the maximum period of validity of the EC being for mining lease for 30 years." का उल्लेख है, की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रारूप अधिसूचना का.आ. 1038 (अ) दिनांक 27/02/2019 द्वारा "खनिजों के खनन हेतु "पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता" से तात्पर्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अधिकतम तीस वर्षों की शर्त के अध्यधीन, यथा अनुमानित परियोजना काल की अवधि से है।" का उल्लेख है, की प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14 सितम्बर, 2006 एवं उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति, मध्यप्रदेश के ज्ञापन क्रमांक 2596 / एस.ई.आई.ए.ए./19, दिनांक 15/10/2019 द्वारा मेसर्स इस्टर्न मिनरल्स, ग्राम–नंदनवारा, तहसील–जतारा, जिला–टिकमगढ़ (म.प्र.) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता 30 वर्ष के लिए जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त के आधार पर श्री राकेश दुबे, अध्यक्ष रायपुर क्रेशर संचालक एसोसिएशन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भी गौण खनिज हेतु प्राप्त की गई समस्त पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि वैधता लीज अवधि तक मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा खदानों को 30 वर्ष से कम की वैधता अवधि के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, जिनमें से कुछ खदानों की वैधता अवधि समाप्त हो गई है, परंतु लीज की अवधि वैध है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक J-11011/15/2012-IA.II(M) दिनांक 20/03/2015 अनुसार "Project Proponent which has a valid and substituting EC for their mining project either under EIA Notification 1994 or EIA Notification 2006, will not be required to obtain fresh EC at the time of renewal of the lease. This is subject to the maximum period of validity of the EC being for mining lease for 30 years." का उल्लेख है। किन्तु जिन खदानों की वैधता 30 वर्षों के पूर्व समाप्त हो गई है एवं उनकी लीज की अवधि वैध है। इस संबंध में मार्गदर्शन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाया जाना आवश्यक है।

2. वर्तमान में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति भंग हो चुकी है, जिसके कारण समस्त प्रकरणों के आवेदनों को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा निराकरण किया जा रहा है। अतः ऐसे प्रकरणों में निराकरण किये जाने हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता प्रतिपादित हो रही है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं विधि विभाग (Law Department) से उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन लिये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

श्री राकेश दुबे, अध्यक्ष रायपुर क्षेत्र संचालक एसोसिएशन के पत्र दिनांक 22/04/2022 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12/04/2022 को जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न कर, गौण खनिज की खदानों में पर्यावरणीय स्वीकृति लीज अवधि/30 वर्षों तक मान्य करने बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संपन्न 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/अधिसूचना का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12/04/2022 को अधिसूचना जारी किया गया, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"Provided further that the regulatory authority may also consult the concerned Expert Appraisal Committee before grant of such extension.

(iv) The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier".

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त अधिसूचना के परिपेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पैरा 9 में, (क) उपपैरा (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :–

   (i) "पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता" से यह अवधि अभिप्रेत है, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी विनियामक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है, या आवेदक द्वारा पैरा 8 के उपपैरा (iii) के अधीन स्वीकृत किया गया माना जा सकता है, की शुरुवात परियोजना या गतिविधियों द्वारा उत्पादन प्रचालन ; या अनुसूची के मद 8 से संबंधित निर्माण परियोजनाओं के मामले में सभी निर्माण प्रचालनों को पूरा करना है, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन संदर्भित है:

   परंतु खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिये जायेंगें।

2. "खनन परियोजनाओं के लिए दी गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी, समय–समय पर, अधिकतम 30 वर्ष, जो भी पहले हो, के अधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और नवीनीकृत खनन योजना में निर्धारित परियोजना जीवन के लिए मान्य होगी।

   सम्मिलित परियोजनाओं या क्रियाकलापों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी की वैधता की अवधि को अगले 30 वर्षों के लिए, 30 वर्षों से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि विद्यमान पर्यावरण मंजूरी में अधिकथित विद्यमान पर्यावरण सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता की जाँच, 30 वर्ष की पर्यावरण मंजूरी की अधिकतम वैधता अवधि के भीतर परियोजना प्रस्तावक से अधिकथित प्रोफार्मा में ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा हर 5 वर्ष बाद और तत्पश्चात् विस्तारित पर्यावरण मंजूरी, जैसा आवश्यक समझा जाए, परियोजना प्रस्तावक से अधिकथित प्रोफार्मा में ऐसे आवेदन की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त होने पर पर्यावरण प्रबंधन योजना में ऐसे अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए हर 5 वर्ष में, खनन पट्टे की वैधता या खनन जीवन की समाप्ति या 50 वर्ष, जो भी पहले हो, तक की जाएगी।"

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में उल्लेखित वैधता की गणना पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से प्रारंभ कर पत्र में निर्धारित समाप्ति अवधि के पूर्व माईनिंग ऑपरेशन्स प्रारंभ कर लेने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता की गणना लीज डीड क्रियान्वयन दिनांक से रहेगी।
2. उपरोक्त कण्डिका 1 में वर्णित अनुसार जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 के पूर्व समाप्त हो चुकी है, उन परियोजनाओं को पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त कण्डिका 1 में वर्णित अनुसार जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 को अथवा इस दिनांक के उपरांत वैध है, उन खनन परियोजनाओं में:-

(अ) ऐसे प्रकरण जिनमें खदानों की केटेगरी अद्यतन स्थिति में वही है, जो पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के समय थी, उनमें परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि हेतु फार्म-6 में आवेदन करना होगा।

(ब) ऐसे प्रकरण जिनमें खदानों की केटेगरी अद्यतन स्थिति में जिसकी स्थिति परिवर्तित हो रही (जैसे बी-2 से बी-1) है। उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति में अवधि विस्तार भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 के आधार पर किया जाना है अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि में विस्तार हेतु परियोजना प्रस्तावक को नवीन आवेदन करना होगा। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन लिया जाना उचित होगा।

पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में उपरोक्त अभिमत प्रस्तुत है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स साव मिनरल्स लाईम स्टोन क्वारी को खसरा क्रमांक 47 (पार्ट), 60/1 (पार्ट), 63 (पार्ट), 64, 65 (पार्ट), 66, 69 (पार्ट), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 157 एवं 158, कुल लीज क्षेत्र 4.91 हेक्टेयर, ग्राम–गोढ़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 1,96,875 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.91 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 1,96,875 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को त्रैमासिक (Quarterly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू–जल के उपयोग (यदि हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी विमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

12. उत्खनन करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 42,317 घनमीटर है, जिसमें से 6,149 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा 5,424 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को क्रशर स्थापना एवं रैम्प निर्माण में उपयोग किया जाएगा एवं शेष 30,744 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भूमि खसरा क्रमांक 160/1 एवं 160/2 (1.37 हेक्टेयर) में भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
112	2%	2.24	Following activities at nearby, **Village-Gondpendri**	
			Pavitra Van	10.78
			Total	**10.78**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,350 नग पौधों के लिए राशि 27,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,03,700 रूपये, खाद के लिए राशि 3,380 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,46,360 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,88,440 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,90,120 रूपये हेतु घटकवार व्यय ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 100 एवं 145/1(पार्ट), क्षेत्रफल 3 एकड़) में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

20. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,500 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

21. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,000 पौधों का रोपण (कुल 1,500 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

22. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

23. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

24. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

25. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित / प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज फेसीलिटी सहित) लगाया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग / मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

27. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

28. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

29. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

30. खनिज का उत्खनन अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जावे।

31. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

32. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

33. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी

भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सकें। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स महामाया मिनरल्स (पार्टनर– श्रीमती सतरूपा सिंहा) को खसरा क्रमांक 867, 874, 875, 876, 877, 878(पार्ट), 879(पार्ट), 881, 882, 883, 884(पार्ट), 887/1, 888/1 एवं 888/2, कुल लीज क्षेत्र 4.55 हेक्टेयर, ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 49,950 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.55 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 49,950 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को त्रैमासिक (Quarterly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू–जल के उपयोग (यदि हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी क्रिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) मे वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

12. उत्खनन करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 52,751 घनमीटर है, जिसमें से 6,567 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा 37,064 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को क्रशर स्थापना एवं रैम्प निर्माण में उपयोग किया जाएगा एवं शेष 9,120 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीप स्वयं के निजी भूमि खसरा क्रमांक 857 (0.5 हेक्टेयर) में भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
69	2%	1.38	Following activities at nearby, Village-Dhaur	
			Pavitra Van	10.10
			Total	**10.10**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 900 नग पौधों के लिए राशि 18,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 65,300 रूपये, खाद के लिए राशि 2,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,44,900 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,30,450 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,80,520 रूपये हेतु घटकवार व्यय ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 145, क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर) में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

20. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,700 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

21. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,000 पौधों का रोपण (कुल 1,700 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

22. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

23. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

24. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

25. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज पोसीलिटी सहित) लगाया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

27. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

28. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

29. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

30. खनिज का उत्खनन अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जावे।

31. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

32. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

33. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जाए।

35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी

भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स ब्रिक्स अर्थ वले क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत) को खसरा क्रमांक 700/2, 703, 726/2, 700/1, 701, 702, 723/7, 723/11, 700/3 एवं 723/19, ग्राम–अनुजनगर, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्र 2.07 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–3,275 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 14,73,750 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.07 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 3,275 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 14,73,750 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी जिग–जैग किल्न आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
9. ईंट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।
11. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण हेतु उपयोग किया जाए।
12. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जावें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उडकर आस–पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस–पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
13. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने

हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. मिट्टी, फलाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23.60	2%	0.47	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Anujnagar**	
			Potable Drinking Water Facility	0.32
			Running Water Facility for Toilet	0.10
			Environmental Library	0.13
			Total	**0.55**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 481 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 481 पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित**

ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

25. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

26. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

27. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

28. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

29. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

31. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

37. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

40. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–04

मेसर्स सुनसुनिया सेण्ड माईन (प्रो.– श्री दीपक त्रिपाठी) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1727/1, कुल क्षेत्रफल–4.9 हेक्टेयर, ग्राम–सुनसुनिया, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

6. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

7. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हैक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,880 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 1,120 नग पौधे पहुँच मार्ग में रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र 15 दिवस के**

भीतर प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।

17. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफस सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

18. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

19. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.59	2%	0.76	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Sunsuniya**	
			Installation of Motor Pump, Water Tank along with Filter AMC	0.60
			Running Water Facility for Toilet	0.15
			Environmental Library	0.15
			Total	**0.90**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावें। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

23. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

24. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

25. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।

26. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

27. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

29. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त मे संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

30. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

31. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय

कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

33. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

34. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

36. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.